न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्या:-431/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00445)

1. रमेश पासवान पुत्र श्री डोरिक पासवान, निवासी 8-ए, कमिश्नर लेन, दिल्ली।

बनाम

1. राज्य सरकार द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

उपस्थितिः-

1. **श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः **14.011.2022**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक आर-18 बी-सी/शैक्ष./589 दिनांक 27.01.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने ग्राम रतनपुरा हरीपुरा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 3/2 रकबा 10.03 बीघा 25672 वर्गमीटर, एवं खसरा नम्बर 5/1 एवं 159/4/5 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 13405.18 वर्गमीटर के बाबत् जिला कलक्टर जयपुर को शैक्षणिक शिक्षण संस्था प्रयोजन हेतु रुपान्तरण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिला कलक्टर जयपुर ने अपने पत्रांक आर.18बी 10014 दिनाँक 17.07.2008 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को वास्तविक रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ ने अपने प्रतिवेदन रिपोर्ट क्रमांक 2148 दिनाँक 19.08.2008 द्वारा जिला कलक्टर जयपुर को अपनी सकारात्मक रिपोर्ट भेजी एवं अपनी उक्त प्रतिवेदन में रुपान्तरण किए जाने हेतु अपनी अनापत्ति की उसके उपरान्त भी जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलार्थी को बिना नोटिस दिए दिनाँक 27.01.2009 को प्रार्थी के पीठ पीछे एकपक्षीय रुप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत भू-रुपान्तरण प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 27.01.2009 पूर्णतया विधि-विधान, पत्रावली व तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है क्योंकि जिला कलक्टर जयपुर ने प्रकरण के विवादित मुददों को सही एवं वास्तविक अर्थो में समझे बिना ही एक अनुचित अवैध परवर्स तथा क्षेत्राधिकार विहिन अपीलाधीन आदेश पारित

P.T.O.

किया है एवं आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार का सुनवाई का कोई नोटिस ही नही दिया एवं अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का कतई कोई अवसर ही नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सहज सामान्य सिद्धान्तों की घोर उपेक्षा एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय हैं।

अधिवक्त अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर ने अपना आदेश जैर अपील मनमाने रुप से आर्बीट्रेटरी वे में पारित किया हैं और प्रार्थना–पत्र खारिज़ करने का एकमात्र कारण यह अंकित किया है कि राजस्थान में पासवान जाति अनुसूचित जाति में नहीं हैं, एवं उक्त भूमियों का स्थानान्तरण विधिक प्रावाधनों के विपरीत होने से रूपान्तरण किया जाना संभव नहीं हैं जबकि जिला कलक्टर जयपुर की उक्त फाईडिंग उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की हैं क्योंकि जिला कलक्टर जयपुर को भूमि हस्तांतरण के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टिका टिप्पणी करने का क्षेत्राधिकार नहीं था जबकि उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अपीलार्थी के पक्ष में दी गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिला कलक्टर जयपुर द्वारा चाही गई बिन्दूवार की जाँच उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ की सकारात्मक प्रतिवेदन पर कतई कोई ध्यान न देकर एवं यहा तक प्रतिवेदन को आँखों से ओझल करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की हैं जो इस तथ्य से भी स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि उपखुण्ड अधिकारी एवं संबंधित ग्राम पंचायत ने भी रुपान्तिरण किए जाने में अपनी अनापत्ति जाहिर की हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आदेश जैर अपील पूर्णतया उनके क्षेत्राधिकार के बाहर का आदेश हैं जो निरस्त किए जाने योग्य हैं, क्योंकि सन् 1963 के धर्मशाला, गौशाला, स्कूल आदि को संपरिवर्तन नियमों के तहत एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन रेवेन्यू ग्रुप–6, नंबर एफ/6/रेवेन्यू–6/92/पीटी/14 दिनाँक 02.04.2007 के तहत भी जिला कलक्टर को प्रार्थना–पत्र खारिज़ करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जिला कलक्टर जयपुर प्रकरण को राज्य सरकार को विचारार्थ भेज सकते थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 27.01.2009 निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र भू–रुपान्तरण स्वीकार किया जाकर भूमि वादग्रस्त का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ रुपान्तरण किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त पूर्व में राजस्थान के अनुसूचित जाति की रही है जिसे अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया है जबकि अपीलार्थी पासवान जाति का व्यक्ति है एवं राजस्थान में पासवान जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही होने से अपीलाधीन आदेश

P.T.O.

दिनांक 27.01.2009 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्थान के अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अपीलार्थी द्वारा क्रय किया गया है जबकि अपीलार्थी पासवान जाति के है जो कि राजस्थान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही आती है जिससे उक्त भूमि के क्रय–विक्रय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी को स्पष्ट उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2009 में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.01.2009 को यथावत रखा जाता है एवं चूँकि अपीलार्थी पासवान जाति के है जो राजस्थान में अनुसूचित जाति की श्रेणी में नही आते है जिन्होने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी को क्रय किया गया है जिससे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी का उल्लंघन होने से तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देशित भी किया जाता है वादग्रस्त आराजी बाबात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही सम्पादित कर वादग्रस्त आराजी को कब्जे राज लिये जाने के सम्बन्ध मे अविलम्ब कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति जिला कलक्टर जयपुर एवं तहसीलदार जमवारामगढ़ को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/11/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।